

कार्यालय-जिला एवं सत्र न्यायालय, रीवा (म0प्र0)

—: आदेश :-

कमांक-क्यू/न्यायालय/2020

रीवा, दिनांक-06/06/2020

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का सरकुलर नम्बर-ए/1214 जबलपुर दिनांक-05.06.2020 के क्रम में और वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना वायरस (काविड-19) के संक्रमण को देखते हुए जिला न्यायालय रीवा एवं उनकी समस्त तहसीलों के न्यायालय दिनांक-08.06.2020 से दिनांक-13.06.2020 तक की समस्त पेशियों को कोरोना वायरस एवं लॉकडाउन के कारण (न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एवं भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय तथा न्यायालय सुश्री महिमा कछवाहा, बारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं पॉस्को न्यायालय को छोड़कर) निम्नानुसार पेशियां नियत की जाती है :-

कमांक	दिनांक	आपराधिक प्रकरण	सिविल प्रकरण
01	08.06.2020	05.10.2020	09.11.2020
02	09.06.2020	06.10.2020	10.11.2020
03	10.06.2020	07.10.2020	11.11.2020
04	11.06.2020	08.10.2020	17.11.2020
05	12.06.2020	09.10.2020	18.11.2020
06	13.06.2020	10.10.2020	19.11.2020

- नोट :-** 01. अर्जेन्ट विचाराधीन बंदियों के प्रकरण, धारा-164 द.प्र.स., 1973 के अन्तर्गत कथन, आदेश, निर्णय एवं जो प्रकरण वीडियो कांफेन्स के जरिये सुनवाई में लगे हैं, विशेषकर दीवानी मामले, रिवीजन सिविल अपील तथा जिनमें पक्षकारों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है उन प्रकरणों को छोड़कर शेष मामलों में उक्त आदेश प्रभावी रहेगा। उक्त सम्बन्ध में पक्षकारों को न्यायालय में आने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने अधिवक्ता महोदय एवं सी.आई.एस. से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
02. उक्त पेशियों के संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई पक्षकार/अधिवक्ता अपने प्रकरण में निर्धारित की गई पेशियों में परिवर्तन चाहता है तो वह आवेदन प्रस्तुत कर या निवेदन कर जैसी स्थिति हो कार्यवाही करवा सकता है।
03. दिनांक 15.06.2020 या जब लाकडाउन के पश्चात् कोर्ट खुलता है तो पीठासीन अधिकारी, पक्षकार/अधिवक्ता का प्रकरण यदि अर्जेन्ट प्रकृति/अंतिम तर्क/अंतिम प्रक्रम में हो तो न्यायालय की सुविधा अनुसार पेशियों में परिवर्तन किया जा सकता है।

(अरुण कुमार सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रीवा, (म0प्र0)

पृष्ठा. कमांक क्यू/परिपत्र/2020
प्रतिलिपि,

रीवा, दिनांक 06.06.2020

01. न्यायालय/प्रभारी अधिकारी.....
रीवा/मऊगंज/सिरमौर/त्यौंथर/हनुमना/मनगंवा।
02. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, रीवा/मऊगंज/सिरमौर/त्यौंथर/हनुमना
/मनगंवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अरुण कुमार सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रीवा, (म0प्र0)